

2018



# पीएच.डी. कार्यक्रम हेतु विवरणिका

संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (Combined Research Entrance Test-  
CRET) के लिए निर्देश

शोध एवं नवाचार निदेशालय  
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय ट्रांसपोर्ट नगर, तीन पानी बाई पास,  
हल्द्वानी, (उत्तराखण्ड) 263139



अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है।

पीएचडी प्रवेश पोर्टल के लिए ऑनलाइन लिंक निम्नानुसार है:

<https://entrance.uou.ac.in/>

## 1. महत्वपूर्ण तिथियाँ

1.1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा प्रवेश शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि आदि जानकारी के लिए <https://entrance.uou.ac.in/> को देखें।

## 2. प्रस्तावना

विश्वविद्यालय की शोध उपाधि कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी के शोधार्थियों को उच्च अनुसंधान की दिशा में देश व राज्य की वर्तमान आवश्यकताओं, नवीनतम पहलुओं और समस्याओं के अनुरूप शोध करने के साथ-साथ शोध प्रविधि का वैज्ञानिक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना है। इस हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्याय 2.5 (XIV), अनुच्छेद 32.2 (क) एवं परिनियम 37(5) के अधीन शोध उपाधि अध्यादेश, 2016 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत शोध उपाधि कार्यक्रम प्रख्यापित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं ;

- i. शिक्षार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन हेतु कौशल को विकसित करना।
- ii. शिक्षार्थियों में शिक्षण, अनुसंधान तथा परामर्श में गुणवत्ता कौशल को विकसित करना।
- iii. शोध क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शोध संबंधी प्रश्नों को स्पष्ट तथा विश्लेषण करने में शिक्षार्थियों को सक्षम करना।
- iv. शोध क्षेत्र में ज्ञान के सीमाओं को विस्तारित करने में योगदान देने हेतु प्रासंगिक शोध अभिकल्पना और पद्धतियों की अवधारणा तथा कार्यान्वयन के कौशल को विकसित करना।
- v. प्रभावी रूप से शोध का प्रसार (मौखिक और लिखित दोनों रूपों में), नीति निर्माताओं, प्रमुख हितधारकों तथा सार्वजनिक रूप से करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना।

## 3. सामान्य जानकारी

3.1. पीएच.डी. कार्यक्रम (नियमित पद्धति के अन्तर्गत) सत्र 2018 में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। यूजीसी-नेट (जेआरएफ सहित)/यूजीसी-सीएसआईआर नेट(जेआरएफ

- सहित)/शिक्षक अध्येतावृत्ति धारक प्रवेशार्थियों, जिन्हें प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त है, उन्हें भी प्रवेश आवेदन-पत्र भरना होगा।
- 3.2. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा पीएच. डी. कार्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम. फिल. / पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया ) विनियम, 2016 तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों के साथ पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है । चयनित शिक्षार्थी उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अध्यादेश, अधिनियमावली, नियमावली तथा विनियमों द्वारा निर्देशित होंगे ।(<http://entrance.uou.ac.in/PhD-Regulation-2016.pdf> and <http://entrance.uou.ac.in/UOU-PhD-Ordinance-2016.pdf>)
  - 3.3. विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत भौतिकी विज्ञान तथा रसायन विज्ञान विभाग में पीएच. डी. कार्यक्रम का संचालन सम्बन्धित विभाग द्वारा अध्ययन केन्द्रों से प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध कराए जाने सम्बन्धी सहमति –पत्र उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त ही किया जाएगा।
  - 3.4. पीएच. डी. कार्यक्रम में प्रवेश अनिवार्य रूप से योग्यता पर आधारित होगा जो कि प्रवेश परीक्षा तथा साक्षात्कार में अभ्यर्थी के प्रदर्शन पर आधारित होगा।
  - 3.5. आवेदन-पत्र ऑफलाइन या हार्ड कॉपी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र अधिसूचना के अनुसार सभी तरह से पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन फॉर्म अस्वीकार कर दिए जाएंगे जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता का होगा।
  - 3.6. 1000/- रूपये का आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
  - 3.7. प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले ( अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पृथक रूप से निशक्त तथा दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए 40% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45%) योग्यता के क्रम में साक्षात्कार के लिए उपलब्ध सीटों की अधिकतम पांच गुना के आधार पर चयन किया जाएगा।
  - 3.8. पीएच0डी0 कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रथम अथवा दो सेमेस्टर्स के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्य-कार्य (Course Work) को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।
  - 3.9. पाठ्य-कार्य (Course Work) विश्वविद्यालय मुख्यालय हल्द्वानी में ही होगा। वर्तमान में विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है। छात्रों को रहने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।
  - 3.10. शोधार्थी को अपने कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा भविष्य हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के संबंध में प्रस्तुति देनी होगी।

- 3.11. अगर पीएच. डी. की प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के उपरान्त कोई अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया जाता है तो इस स्थिति में विश्वविद्यालय का यह अधिकृत अधिकार क्षेत्र होगा कि वह पीएच. डी. कार्यक्रम के कुछ या सभी सीटों को रिक्त रखे।
- 3.12. इस प्रवेश परीक्षा से संबंधित सभी कानूनी/ वैधानिक विवाद माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड के अधिकार क्षेत्र में मान्य होंगे।

#### 4. विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जानकारी

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के व्यापक दर्शन की पृष्ठभूमि पर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में उत्तराखण्ड शासन के अधिनियम संख्या 23 द्वारा इस उद्देश्य से की गई कि समग्र ज्ञान और कला-कौशल की स्वयं सीख पाने की विविध विधाओं द्वारा सक्षमता लोगों तक पहुँचायी जा सके। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अपने अनेक नूतन, समसामयिक एवं उपयोगी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सम्प्रेषण के नवीनतम प्रयोगों तथा सम्पर्क-सत्रों द्वारा अधिक सुदृढ़ बनाता रहा है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य इस राज्य के त्वरित विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षित एवं विभिन्न कौशलों में दक्ष उपयोगी मानव संसाधनों का विकास करना है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कभी किसी भी स्तर पर कोई समझौता न किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा में तीव्रता से हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि रोजगार एवं स्व-रोजगार के नित नए द्वार खुल सकें। विश्वविद्यालय मुख्य रूप से महिलाओं, जनजातियों तथा मुख्य धारा से अलग वर्गों के शैक्षिक उन्नयन हेतु कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय के निरन्तर होते विस्तार से इसकी पहुँच आज इस राज्य के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम स्थलों तक हो गई है। विश्वविद्यालय राज्य के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए, जो राज्य की समृद्ध परम्पराओं पर आधारित हो, राज्य की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय संसाधनों की उन्नति और अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और विस्तारण के माध्यम से प्रयास करेगा।

वर्तमान में, विश्वविद्यालय 13 विद्याशाखाओं एवं 47 विभागों के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। विद्याशाखाएं निम्नलिखित हैं:

- i) कृषि एवं विकास अध्ययन
- ii) कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी
- iii) स्वास्थ्य विज्ञान
- iv) विज्ञान
- v) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

- vi) प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य
- vii) शिक्षाशास्त्र
- viii) मानविकी
- ix) समाज विज्ञान
- x) विधि
- xi) पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन
- xii) पर्यटन, आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन
- xiii) व्यावसायिक अध्ययन

इसके अतिरिक्त हिमालयी अध्ययन केंद्र, गांधी अध्ययन एवं शांति केंद्र, भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केंद्र तथा मानवीय तथा नैतिक मूल्य केंद्र की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि शोधपरक एवं विशिष्ट अध्ययन किया जा सके।

## 5. पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता

5.1 पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एक व्यावसायिक उपाधि हो जिसे समकक्ष सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित किया गया हो, जिसमें अभ्यर्थी को कम से कम कुल 55% प्रतिशत अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बिन्दु मानक 7 पर 'बी' ग्रेड प्राप्त हो (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिन्दु मानक पर समकक्ष ग्रेड ) अथवा ऐसे विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो जो कि किसी आंकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो कि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आंकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा एक ऐसे प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

5.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभान्वित श्रेणी) (Non-Creamy Layer) से संबद्ध है अथवा समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों की अन्य श्रेणियों के लिए अथवा दिनांक 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंकों तक अर्थात् अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है। 55% अर्हता अंक (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिन्दु मानक पर समकक्ष ग्रेड ) तथा उपर्युक्त श्रेणियों में 5% अंकों की छूट केवल अर्ह अंकों के आधार पर ही अनुमेय है जिसमें रियायती अंक शामिल नहीं है।

5.3 अभ्यर्थी जिनके पास किसी भारतीय संस्थान की एम.फिल. उपाधि के समकक्ष ऐसी उपाधि है जो कि विदेशी शैक्षिक संस्थान से है, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आंकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा एक ऐसे प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, ऐसे अभ्यर्थी पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र हैं।

### संक्षेप में

Master's Degree from a University recognized by UGC in the relevant discipline with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B in the UGC 7 point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed). [50% marks or an equivalent grade in a point scale in the case of SC,ST and OBC(Non-creamy Layer)/Differently-Abled and other categories of candidates as per the decision of UGC from time to time, or for those who had obtained their Master's Degree prior to 19<sup>th</sup> September,1991].

संबंधित विषय में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम कुल 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिन्दु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिन्दु मानक पर समकक्ष ग्रेड । [अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभान्वित श्रेणी) (Non – Creamy Layer)/पृथक रूप से निशक्त अथवा समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों की अन्य श्रेणियों के लिए अथवा दिनांक 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 50% अंकों तक अर्थात् अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।]

## 6. पीएच.डी प्रवेश पाठ्यक्रम

6.1 प्रवेश परीक्षा, अर्हक परीक्षा होगी जिसमें 50% अर्हता अंक होंगे। प्रवेश परीक्षा के पाठ्यविवरण में 50% शोध पद्धति तथा 50% विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पृथक रूप से निशक्त तथा दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए 40% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45%) योग्यता के क्रम में साक्षात्कार के लिए उपलब्ध सीटों की अधिकतम पांच गुना के आधार पर चयन किया जाएगा।

6.2 पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र का स्वरूप (भाग A और भाग B में आवंटित प्रश्नों की संख्या को छोड़कर) तथा पाठ्यक्रम यूजीसी नेट के अनुरूप होगा। प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित होंगे तथा परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

6.3 विशिष्ट विषय से सम्बन्धित प्रश्नों के लिए विषयवार पाठ्यक्रम, शोध कार्यक्रमों हेतु पोर्टल में अलग से अपलोड किए गए हैं।

## 7. विभिन्न विषयों से सम्बन्धित पीएच.डी. कार्यक्रम के नाम ,कार्यक्रम कोड , कार्यक्रम वार रिक्ति तथा विशिष्ट पात्रता मानदंड

विषयों तथा विषय-वार उपलब्ध सीटों का विवरण निम्नवत है;

क्रम संख्या S. No	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम कोड	कुल रिक्ति Total Posts	सामान्य श्रेणी General		अनुसूचित जाति SC	अनुसूचित जनजाति ST	अन्य पिछड़ा वर्ग OBC	टिप्पणी Remarks
				पुरुष Male	महिला Female				
1	पीएच.डी. (इतिहास) Ph.D. (History)	Ph.D. (HIS)- 18	5	3	1	1	-	-	
2	पीएच.डी. (समाजशास्त्र) Ph.D. (Sociology)	Ph.D. (SOC)- 18	3	2	-	1	-	-	
3	पीएच.डी. (राजनीति शास्त्र) Ph.D.	Ph.D. (POS)- 18	4	2	1	1	-	-	

	(Political Science)								
4	पीएच.डी. (समाज कार्य) Ph.D. (Social Work)	Ph.D. (SOW)-18	4	2	1	1	-	-	
5	पीएच.डी. (भौतिक विज्ञान) Ph.D. (Physics)	Ph.D. (PHY)-18	4	2	1	1	-	-	
6	पीएच.डी. (रसायन विज्ञान) Ph.D. (Chemistry)	Ph.D. (CHE)-18	4	2	1	1	-	-	
7	पीएच.डी. (वानिकी) Ph.D. (Forestry)	Ph.D. (FOR)-18	4	2	1	1	-	-	Subject Specialization: Agroforestry
8	पीएच.डी. (प्रबन्ध) Ph.D. (Management)	Ph.D. (MAN)-18	9	4	2	2	-	1	
9	पीएच.डी. (वाणिज्य) Ph.D. (Commerce)	Ph.D. (COM)-18	4	2	1	1	-	-	
10	पीएच.डी. (शिक्षाशास्त्र) Ph.D. (Education)	Ph.D. (EDU)-18	5	3	1	1	-	-	
11	पीएच.डी. (अंग्रेजी) Ph.D. (English)	Ph.D. (ENG)-18	5	3	1	1	-	-	
12	पीएच.डी. (संस्कृत) Ph.D. (Sanskrit)	Ph.D. (SAN)-18	4	2	1	1	-	-	
13	पीएच.डी.	Ph.D. (HIN)-	2	1	-	1	-	-	



	(हिन्दी) Ph.D. (Hindi)	18							
14	पीएच.डी. (होटल प्रबंध) Ph.D. (Hotel Management)	Ph.D. (HOM)-18	4	2	1	1	-	-	
15	पीएच.डी. (पर्यटन प्रबंध) Ph.D. (Tourism Management)	Ph.D. (TOM)-18	4	2	1	1	-	-	
16	पीएच.डी. (हॉर्टिकल्चर) Ph.D. (Horticulture)	Ph.D. (HOR)-18	4	2	1	1	-	-	Subject Specialization: Vegetable Science/Fruit Science/Floriculture
17	पीएच.डी. (कम्प्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन्स) Ph.D. (Computer Science & Applications)	Ph.D. (CSA)-18	6	3	1	2	-	-	
18	पीएच.डी. (योग) Ph.D. (Yoga)	Ph.D. (YOG)-18	4	2	1	1	-	-	
19	पीएच.डी. (मनोविज्ञान) Ph.D. (Psychology)	Ph.D. (PSY)-18	4	2	1	1	-	-	
20	पीएच.डी. (ज्योतिष) Ph.D. (Jyotish)	Ph.D. (JYO)-18	4	2	1	1	-	-	
<b>Total</b>			<b>87</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>22</b>		<b>1</b>	

## 8. प्रवेश प्रक्रिया

8.1 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पीएच. डी. कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

❖ **यूजीसी-नेट (जेआरएफ सहित)/यूजीसी-सीएसआईआर नेट(जेआरएफ सहित)/शिक्षक अध्येतावृत्ति धारक प्रवेशार्थियों को इस प्रवेश परीक्षा से छूट होगी। ऐसे प्रवेशार्थियों को साक्षात्कार की प्रक्रिया में सम्मिलित होना आवश्यक होगा।**

❖ **नेट/स्लेट/गेट उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा देनी होगी।**

8.2 प्रवेश, विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित मानदण्ड के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों/मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर राज्य सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन करते हुए किये जाएंगे।

8.3 अभ्यर्थियों की शोध अभिरुचि/क्षेत्र पर चर्चा के लिए एक विधिवत् गठित समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के माध्यम से साक्षात्कार किया जाएगा। यह साक्षात्कार तीन बिन्दुओं- 1. अवधारणा-पत्र लेखन (15 अंक), 2. शोध अभिरुचि संबंधी प्रस्तुतीकरण (15 अंक), एवं मौखिक साक्षात्कार (20 अंक), पर आधारित होगा।

8.4 साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार में निम्नवत पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा;

8.5.1 अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता।

8.5.2 प्रस्तावित शोधकार्य सुलभतापूर्वक विश्वविद्यालय में कार्यान्वयन।

8.5.3 प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान।

8.5 सभी अभ्यर्थियों की (प्रवेश परीक्षा में पाए गए योग्य अभ्यर्थियों तथा प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त आवेदकों की) परिचर्चा / काउंसलिंग / साक्षात्कार के बाद एक सामान्य योग्यता सूची तैयार की जाएगी। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8.6 योग्यता सूची में बराबर अंको की स्थिति में, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों को अभ्यर्थी को प्राथमिकता देने के लिए माना जाएगा।

8.7 विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर पीएच.डी. के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रख रखाव वार्षिक आधार पर करेगा।

## 9. प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र की सूचना

प्रवेश परीक्षा हल्द्वानी में सम्पन्न होगी तथा प्रवेश परीक्षा का दिनांक, समय तथा स्थान विश्वविद्यालय की वेबसाइट में घोषित किया जाएगा। परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आवेदकों को नियमित रूप से

विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें। विश्वविद्यालय कारण बताए बिना केंद्र (व/या) परीक्षा की तिथि को परिवर्तित कर सकता है परन्तु पर्याप्त समय पूर्व उसकी जानकारी अभ्यर्थियों को दे दी जाएगी।

## 10. शुल्क का विवरण

10.1	प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का शुल्क -	1,000/-
10.2	पंजीकरण एवं पाठ्य कार्य शुल्क -	6,500/-
10.3	प्रतिवर्ष पाठ्यक्रम शुल्क (शोध पूर्ण होने तक) -	6,500/-
10.4	शोध ग्रन्थ मूल्यांकन शुल्क -	5,000/-

वर्ष Year	कार्यक्रम शुल्क Program me Fee	पंजीकरण, पाठ्य कार्य तथा परीक्षा शुल्क Registration /Course Work Fees/Exami nation Fee	शोध ग्रन्थ मूल्यांकन शुल्क Thesis Evaluatio n Fees	पहचान पत्र Identity Card	छात्र कल्याण Student Welfar e	डिग्री के लिए शुल्क Degree Fee	कुल शुल्क Total Fees
I	6,500	6,500	-	50	100	-	13,150
II	6,500	-	-	-	-	-	6,500
III	6,500	-	-	-	-	300	6,800
IV	-	-	5,000	-	-	-	5,000

## 11. पंजीकरण प्रक्रिया

11.1 पंजीकृत अभ्यर्थियों को पंजीकरण की तिथि के तीन मास के भीतर विहित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा न होने पर पंजीकरण निरस्त माना जाएगा।

निम्न कारणों से अभ्यर्थी का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है-

11.1.1 शुल्क का भुगतान न करने पर।

11.1.2 असंतोषजनक प्रगति।

11.1.3 अध्यादेशों के उपबन्धों का अनुपालन न करने पर।

11.1.4 विहित समय सीमा के भीतर डिसर्टेशन/थीसिस प्रस्तुत न करने पर।

11.2 शोध उपाधि समिति उन शिक्षार्थियों के पुनः पंजीकरण के अनुरोध पर विचार कर सकती है जिनका पंजीकरण निरस्त किया गया है। पुनः-पंजीकरण के लिए आवेदन यदि छात्र के पंजीकरण निरस्त होने से एक वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर किया गया हो तो सम्बन्धित निदेशक की संस्तुति पर कुलपति द्वारा विचार किया जा सकता है। कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

11.3 कार्यक्रम शुल्क में, पंजीकरण शुल्क, पाठ्यकार्य शुल्क, मूल्यांकन शुल्क एवं कोई अन्य शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएँ सम्मिलित होंगे और सदैव वार्षिक आधार पर प्रभारित होंगे। प्रवेश परीक्षा में सफल होने के उपरान्त कोर्स वर्क सन्तोषजनक पाए जाने के बाद पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीकरण किया जाएगा।

## 12. शोध अवधि

12.1 पीएच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम तीन वर्ष की होगी जिसमें पाठ्य-कार्य (Course Work) की अवधि भी सम्मिलित होगी तथा अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी।

12.2 महिला अभ्यर्थी तथा निशक्त व्यक्ति (जिनकी निशक्तता 40% से अधिक हो) उन्हें पीएच.डी. के लिए अधिकतम दो वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, महिला अभ्यर्थियों को पीएच.डी. की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

12.3 विशेष परिस्थितियों में समुचित कारण होने पर इसे कुलपति द्वारा एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

## 13. पाठ्य-कार्य (Course Work)

श्रेय अपेक्षाएं, संख्या, अवधि, पाठ्य विवरण, कार्य पूर्ण करने के न्यूनतम मापदण्ड आदि।

13.1 पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य 16 क्रेडिट का होगा।

13.2 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पीएच.डी. की तैयारी के लिए पूर्वपेक्षा माना जाएगा। शोध पद्धति पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम को कम से कम चार क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे जिसमें ऐसे क्षेत्र, जैसे परिमाणात्मक पद्धति, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, शोध संबंधी आचार तथा संगत क्षेत्र में प्रकाशित शोध की समीक्षा, प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य आदि सम्मिलित होंगे। अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम होंगे जो छात्रों को पीएच.डी. कार्य के विभिन्न स्तरों के लिए सहायक होंगे।

13.3 पीएच.डी. के लिए विहित सभी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य क्रेडिट घंटे संबंधी अनुदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप होगा तथा वह विषयवस्तु, अनुदेशात्मक तथा मूल्यांकन संबंधी पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करेगा। वे प्राधिकृत शैक्षणिक निकायों द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किए जाएंगे।

**13.4** ऐसे विभाग जहां शोधार्थी अपना शोध कार्य जारी रखते हैं , वे शोध सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम(पाठ्यक्रमों ) को विहित करेंगे।

**13.5** पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रथम अथवा दो सेमेस्टर्स के अन्तर्गत विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

**13.6** पहले ही एम.फिल. उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त हो गया है, अथवा जिन्होंने पहले ही एम.फिल. में पाठ्यक्रम संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया है तथा जिन्हें पीएच.डी. समेकित पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें विभाग द्वारा पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य से छूट प्रदान की जा सकती है। अन्य सभी अभ्यर्थी जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है उन्हें विभाग द्वारा विहित पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

**13.7** पीएच.डी. शोधार्थी को पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में न्यूनतम 50% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर इसके समकक्ष ग्रेड (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है समकक्ष ग्रेड/सीजीपीए) प्राप्त करना होगा ताकि वह पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए पात्र हो तथा शोध प्रबंध/थीसिस जमा कर सके।

**13.8** पाठ्य-कार्य (Course Work) हेतु सामान्य निर्देश पाठ्य-कार्य नियमावली (Course Work Manual) में दिए जायेंगे।

#### **14. प्रगति प्रतिवेदन**

**14.1.1** शोधार्थी छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के संबंध में एक प्रस्तुति देगा।

**14.1.2** शोध सलाहकार समिति द्वारा छःमासिक प्रगति रिपोर्ट शोध उपाधि समिति को तथा इसकी एक प्रति शोधार्थी को भेजी जाएगी। यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को क्रियान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध सलाहकार समिति विशिष्ट कारणों के आधार पर शोधार्थी के पंजीकरण को अमान्य करने के लिए शोध उपाधि समिति को संस्तुत कर सकती है।

#### **15. शोध निर्देशक का चयन**

शोध पर्यवेक्षकों / निर्देशकों का आवंटन निदेशालय द्वारा सम्बन्धित विभाग के परामर्श से किया जाएगा जो शिक्षार्थियों के लिए मान्य होगा।

#### **16. शोध ग्रन्थ जमा तथा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश**

शोध ग्रन्थ जमा तथा प्रस्तुत करने हेतु सामान्य निर्देश शोध- ग्रन्थ विवरण पुस्तिका (Handbook) में दिए जायेंगे।

### आवश्यक सूचना

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पीएच.डी. कार्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा 2018 के ऑनलाइन फार्म भरने से पहले, कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

- (i) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हैं। अभ्यर्थियों का परीक्षा के सभी चरणों में प्रवेश पूर्णतः अस्थाई होगा जो कि पात्रता शर्तों को पूर्ण करने के अधीन होगा। प्रवेश-पत्र मात्र निर्गत करना इस बात का आधार नहीं होगा कि चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। अभ्यर्थी के चयन परीक्षा के उत्तीर्ण करने के पश्चात्, विश्वविद्यालय पात्रता शर्तों का सत्यापन मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर करेगा।
- (ii) विश्वविद्यालय कारण बताए बिना केंद्र (या) परीक्षा की तिथि को परिवर्तित कर सकता है परन्तु यथा समय ऐसे परिवर्तन की जानकारी अभ्यर्थियों को दे दी जाएगी।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन पत्र अधिसूचना के अनुसार सभी तरह से पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन फॉर्म अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- (iv) किसी भी अन्य प्रारूप पर प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन, पोर्टल द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि परीक्षा-शुल्क ऑनलाइन अंतिम तिथि तक निश्चय रूप से भुगतान करें।
- (v) योग्य पाए गये उम्मीदवारों को परीक्षा से पूर्व ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट (शोध पोर्टल) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे।
- (vi) परीक्षा की अवधि में किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कोई अन्य उपकरण जैसे- पेन ड्राइव, स्मार्ट घड़ियां, कैमरा, ब्लूटूथ उपकरण या किसी भी प्रकार का कोई भी उपकरण जिसका संचार माध्यम के रूप उपयोग हो सकता है ऑन या ऑफ मोड में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में प्रतिबंध भी सम्मिलित है।

- (vii) अभ्यर्थियों को निर्देश है कि वे अपने हित में प्रतिबंधित वस्तुओं को अपने साथ न लाए जिसमें मोबाइल फोन/पेजर भी सम्मिलित है, विश्वविद्यालय द्वारा इन सामग्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
- (viii) अभ्यर्थियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी जगहों पर उनके द्वारा अपलोड / चिपकाए गए फोटो तथा हस्ताक्षर (आवेदन पत्र तथा ओ एम् आर OMR शीट में) समान होने चाहिए तथा इनमें किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए।
- (ix) अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में अपना मूल पहचान प्रमाण जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड तथा पासपोर्ट साइज फोटो लाना आवश्यक है।
- (x) इस प्रवेश परीक्षा से संबंधित सभी कानूनी/ वैधानिक विवाद केवल माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड के अधिकार क्षेत्र में मान्य होंगे।
- (xi) इसके अतिरिक्त घोषणाओं तथा सूचनाओं हेतु आवेदकों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.uou.ac.in](http://www.uou.ac.in) तथा शोध पोर्टल को नियमित रूप से देखें। व्यक्तिगत स्तर पर या समाचार पत्रों के माध्यम से इस तरह की जानकारी का प्रसार करना संभव नहीं होगा।
- (xii) अधिक जानकारी के लिए कृपया शोध पोर्टल पर अपलोड किए गए उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय शोध उपाधि अध्यादेश, 2016 को अवश्य देखें।
- (xiii) अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा कक्ष में मूल्यवान वस्तुएँ लेकर न आएँ क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा इन वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इन वस्तुओं की किसी भी प्रकार की क्षति होने की दशा में विश्वविद्यालय की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
- (xiv) विश्वविद्यालय का निर्णय सभी मामलों/विषयों में अंतिम होगा।
- (xv) विशेष परिस्थितियों / मामलों में जो दिशानिर्देशों में सम्मिलित नहीं हैं, ऐसे प्रकरणों पर निदेशालय द्वारा व्यक्तिगत आधार पर विचार किया जाएगा तथा उन्हें माननीय कुलपति के समक्ष रखा जाएगा। कुलपति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- (xvi) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मोबाइल नंबर तथा ई मेल की सही व स्पष्ट जानकारी दें। जिससे, विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित किए जाने वाले दिशानिर्देश तथा सूचनाएं उन्हें यथासमय मिल सकें।

### अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए महत्व पूर्ण सम्पर्क एवं ई-मेल

अभ्यर्थी अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए विश्वविद्यालय के निम्नलिखित नम्बरों में किसी भी कार्य दिवस पर में 10:00 बजे से 5 बजे के मध्य सम्पर्क कर सकते हैं।

Directorate of Research - 05946-286047

Toll Free 18001804025 Extension Number-150

Email Id-[research@uou.ac.in](mailto:research@uou.ac.in)

## सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

**प्रश्न- क्या विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शोध कार्यक्रम यू.जी.सी द्वारा मान्यता प्राप्त है?**

उत्तर- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शोध कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र <http://entrance.uou.ac.in/approval-letter.pdf> को देखें।

**प्रश्न- क्या पीएच.डी कार्यक्रम को व्यक्तिगत पद्वति के माध्यम से भी किया जा सकता है?**

उत्तर- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम. फिल. / पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अन्तर्गत केवल नियमित पद्वति से ही पीएच.डी. पाठ्यक्रम कराये जायेंगे।

**प्रश्न- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में किन-किन विषयों में पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है ?**

उत्तर- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में उन्हीं विषयों में पीएच.डी. करायी जा रही है जिन विषयों में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक उपलब्ध है। वर्तमान में निम्नलिखित विषयों में पीएच.डी. संचालित किए जा रहे हैं-

1. हिन्दी
2. समाजशास्त्र
3. राजनीति शास्त्र
4. इतिहास
5. समाज कार्य
6. होटल प्रबन्धन
7. भौतिक विज्ञान
8. रसायन विज्ञान
9. वानिकी
10. वाणिज्य
11. प्रबन्ध
12. शिक्षाशास्त्र
13. अंग्रेजी
14. संस्कृत
15. पर्यटन प्रबंध
16. हॉर्टिकल्चर
17. कम्प्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन्स
18. योग,
19. मनोविज्ञान
20. ज्योतिष।

**प्रश्न- पीएच.डी कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम पात्रता/योग्यता क्या है?**

उत्तर- संबंधित विषय में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम कुल 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बिन्दु मानक 7 पर 'बी' ग्रेड प्राप्त अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिन्दु मानक पर समकक्ष ग्रेड। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभान्वित श्रेणी) (Non –Creamy Layer)/पृथक रूप से निशक्त अथवा समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों की अन्य श्रेणियों के लिए अथवा दिनांक 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 50% अंकों तक अर्थात् अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।



**प्रश्न- पीएच.डी कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या है?**

उत्तर- उत्तर- पीएच.डी कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम यूजीसी नेट के अनुसार ही होगा। अधिक जानकारी के लिए आप <http://uou.ac.in/phd> देख सकते हैं।

**प्रश्न- पीएच.डी प्रवेश परीक्षा के लिए किन अभ्यर्थियों को छूट प्राप्त है?**

उत्तर- यूजीसी नेट (जेआरएफ सहित)/यूजीसी नेट (सीएसआईआर सहित)/शिक्षक अध्येतावृत्ति धारक प्रवेशार्थियों को छूट प्राप्त है। ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भाग लेना होगा।

**प्रश्न- पीएच.डी. प्रवेश के लिए अन्तिम चयन प्रक्रिया क्या है?**

उत्तर- पीएच.डी प्रवेश के लिए अन्तिम प्रवेश परीक्षा में वरीयता सूची के अनुसार पाँच (प्रति सीट) विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा तथा यूजीसी नेट (जेआरएफ सहित)/यूजीसी नेट (सीएसआईआर सहित)/शिक्षक अध्येतावृत्ति धारक प्रवेशार्थियों को छूट प्राप्त है। इन प्रवेशार्थियों को साक्षात्कार की प्रक्रिया में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। साक्षात्कार के उपरान्त ही श्रेष्ठताक्रम के अनुसार अन्तिम चयन किया जाएगा।

**प्रश्न- क्या पीएच.डी को पूर्णकालिक नौकरी के साथ किया जा सकता है?**

उत्तर- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम. फिल. / पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अनुसार पीएच. डी. नियमित पद्धति से ही मान्य है। इन अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान / संगठन से विश्वविद्यालय को 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। अतः किसी संस्थान में कार्यरत अभ्यर्थियों को अध्ययन अवकाश लेना आवश्यक होगा।

**प्रश्न- पीएच.डी कार्यक्रम के लिए शुल्क संरचना क्या है?**

उत्तर- पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए शुल्क संरचना निम्नवत है-

1. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का शुल्क - 1000/-
2. पंजीकरण एवं पाठ्य कार्य शुल्क - 6500/-
3. प्रतिवर्ष पाठ्यक्रम शुल्क (शोध पूर्ण होने तक) - 6500/-
4. शोध ग्रन्थ मूल्यांकन शुल्क - 5000/-

वर्ष Year	कार्यक्रम शुल्क Program me Fee	पंजीकरण, पाठ्य कार्य तथा परीक्षा शुल्क Registration	शोध ग्रन्थ मूल्यांकन शुल्क Thesis Evaluatio	पहचान पत्र Identity Card	छात्र कल्याण Student Welfar e	डिग्री के लिए शुल्क Degree Fee	कुल शुल्क Total Fees
--------------	---	---	---	-----------------------------------	---	--	-------------------------------

		/Course Work Fees/Exami nation Fee	n Fees				
I	6,500	6,500	-	50	100	-	13,150
II	6,500	-	-	-	-	-	6,500
III	6,500	-	-	-	-	300	6,800
IV	-	-	5,000	-	-	-	5,000

**प्रश्न- पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थी आवेदन कैसे कर सकते है?**

उत्तर- पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थी को आवेदन केवल ऑनलाइन करना होगा ।

**प्रश्न- पीएच.डी. छात्र का दिशानिर्देशन कौन करेगा?**

उत्तर- पीएच.डी. शिक्षार्थी का दिशानिर्देशन विश्वविद्यालय में कार्यरत सम्बन्धित विषय/विभाग के प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक करेंगे जो कि उनके शोध निर्देशक होंगे ।

यद्यपि इस विवरणिका में सूचनाओं /तथ्यों / नियमों के संकलन में पूर्ण सावधानी का पालन किया गया है, फिर भी यदि इस सम्बन्ध में कोई त्रुटि अथवा विसंगति पायी जाती है तो शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आधिकारिक सूचनाएं ही प्रभावी और सर्वमान्य होंगे।

Although due care has been taken while mentioning the information/rules /facts in the Information Brochure, yet if any error or discrepancy comes into notice at the later stage, then the official information/defined rules/facts issued by the University or Government will be effective and obligatory.